... नंबर

[न्]यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

अधिवक्ता का ... नं. 1/31/2022

तारीख रजू.............................

बच्चू वगैरह बनाम राजस्थान सरकार वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01/02/22	वकील प्रार्थी उपस्थित। आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत प्रार्थी के वकील ने मूल वाद के साथ पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट की गई। उक्त पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रस्तुत अप्रार्थीगण जरिये नोटिस रजि० डाक से तलब होकर पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 11/4/22 को पेश हो। SDM	
4/3/22	पत्रावली आज वकील वादी के प्रार्थना-पत्र पर नजदीक तारीख पेशी पर तलब होकर पेश हुई। वकील वादी ने प्रार्थना-पत्र पेश कर दावा में नजदीक तारीख का निवेदन किया। पत्रावली व प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया। अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। अतः दावा वास्ते तलबी रजि० डाक से तलब होकर दिनांक 11/3/22 को पेश हो। SDM	R.C. 222 8.3.22
11/3/22	वकील प्रार्थी उपस्थित ... दिनांक ... में पत्रावली वास्ते तलबी रजि० डाक से ... 8/4/22 को पेश हो। एलन कोर्ट [illegible] उपखण्ड अधिकारी [illegible]	
8/4/22	... P.O. वजह [illegible] पत्रावली दिनांक 12/4/22 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	न... अहका... की ताम...
17/4/22	वकील प्रार्थी ... [illegible] तलबानी मय डाक पर 20/4/22 ... पेश आये तनकी पेश हुई [signature]	
20.4.22	वकील वादी / पेशकार सरकार उपस्थित। तनकी कायम की गई। वादी ने [illegible] के साथ दस्तावेज वकीलतनामा पेश किया। वादी की ओर से PW-1 कच्छू सिंह व PW-2 प्रकाश, PW-3 दौलतराम के शपथ पत्र पेश कर बयान [illegible] कराये गये। वादी और बयान नहीं कराना चाहते है। साक्ष्य वादी बन्द की जाती है। सरकार पेशकार की ओर से साक्ष्य कराने हेतु मौका चाहा गया। साक्ष्य प्रतिवादी हेतु मौका दिया जाता है। एवं वादीगण ने उक्त खसरा नम्बरों पर अपनी दावेदारी पेश कर बउवान [illegible] तकाजा वाद न्यायालय हाज़ा में पेश किया है। विचाराधीन है। वादी व प्रतिवादी को सुना गया। अवलोकन किया गया। उक्त खसरा नम्बरों पर किसी व्यक्ति की कोई उज्रदारी होतो 7 दिवस में पेश करे अन्यथा वादीगण की आतेदारी घोषित की जावेगी। दैनिक भास्कर संपादक को इस आशय की तहरीर जारी होकर पत्रावली वास्ते पेश करने उज्रदारी। साक्ष्य प्रतिवादी दिनांक 29.4.22 को पेश हो। SDM [signature]	[signature]
29.4.22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी। पेशकार उपस्थित। सरकार पेशकार साक्ष्य नहीं कराना चाहती है उनका जवाब ही साक्ष्य समझा जावे। अतः साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दाखा अंतिम दिनांक 6/5/22 को पेश हो। SDM [signature]	जवाब ही साक्ष्य है [signature] 29/4/2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामकिशोर मीना आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 1/31/2022

वउनवान

1. बच्चूसिंह पुत्र स्व0 रामस्वरूप जाति जाट निवासी ईसरोती
2. रामचरण पुत्र स्व0 रामस्वरूप जाति जाट निवासी ईसरोती
3. गोकल पुत्र स्व0 रामस्वरूप जाति जाट निवासी ईसरोती

तहसील कठूमर जिला अलवर

——— वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्ट्रर अलवर
2. तहसीलदार कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर
3. प्रबन्धक, पी एन बी शाखा कठूमर जिला अलवर

———प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक व हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :–

श्री राधाबल्लभ शर्मा एडवोकेट– वकील वादीगण की ओर से

पैरोकार सरकार– प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय दिनांक 03.06.2022

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा इस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवामी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 192, 193, 228, 78, 94, 95, 96, 97, 98, 96/404, 99 का 3/16 हिस्सा खसरा नम्बर 58, 59, 71, 72, 73, 76, 85, 86, 91, 92, 93 का 759/2048 हिस्सा खसरा नम्बर 67, 68, 69 का 3/16 हिस्सा

वाके ग्राम ईसरोती तहसील कठूमर में स्थित है। उपरोक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 192, 193, 228, 78, 94, 95, 96, 97, 98, 96/404, 99 का 3/32 हिस्सा कन्हैया पुत्र परभाती व 3/32 हिस्सा परभाती पुत्र परमा आराजी खसरा नम्बर 58, 59, 71, 72, 73, 76, 85, 86, 91, 92, 93 का 759/4096 हिस्सा कन्हैया पुत्र परमा 759/4096 हिस्सा परभाती पुत्र परमा खसरा नम्बर 67, 68, 69 का 3/16 हिस्सा परभाती पुत्र परमा जाति जाट हाल राजस्व रेकार्ड में खातेदार दर्ज है। इस विवादित आराजी को वादीगण के पिता रामस्वरूप द्वारा दिनांक 21.06.1977 को मौके पर कब्जा प्राप्त कर वो उन्हें 18000 रूपया प्रतिफल स्वरूप देकर खरीद की हुई आराजी है। जिस विक्रय से कन्हैया, परभाती के विवादित आराजी वावत सारे हक हकूक खत्म होकर वादीगण में निहित हो गये। उक्त विवादित आराजी पर वादीगण के पिता ता ज़िन्दगी वक्त खरीद से ही कन्हैया प्रभाती की जानकारी में लगातार काविज रहकर काश्त करते रहे। कन्हैया, परभाती भी निःसंतान विला औरत फौत हुये है। वादीगण के पिता रामस्वरूप के फौत हो जाने पर वादीगण विवादित आराजी के मौके पर शांति पूर्वक कब्जे काश्त में है अर्थात वादीगण का विवादित आराजी पर दिनांक 21.06.1977 से लगातार निर्बाध कब्जा होने के कारण करीब 45 साल पुराना कब्जा है। आज भी विवादित आराजी पर वादीगण की लाहे की फसल खडी है कि जिस विवादित आराजी वावत वादीगण को ओल्ड पजेशन के आधार पर कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त है। वादीगण ने विवादित आराजी को अपने नाम अपनी खातेदारी में दर्ज करवाने वावत प्रतिवादीगण से कहा तो उन्होंने इन्कार कर दिया। राजस्व रेकार्ड में मृतक कन्हैया परभाती के नाम अकित खातेदारी के इन्द्राजात से विवादित आराजी वावत वादीगण के हक हकूक खत्म व प्रभावित है तथा मृतक कन्हैया परभाती के नाम खातेदारी के इन्द्राजात वादीगण के हक हकूकों के मुकावले प्रारम्भ से ही शून्य नल एण्ड बॉयड है। अतः वादीगण विवादित आराजी वावत ओल्ड पजेशन के आधार पर अपने नाम

खातेदारी घोषित कराने के अधिकारी है। कानूनी प्रावधानों के तहत प्रतिवादीगण को धारा 80 जा0दी0 का नोटिस दिया जाकर धारा 80(2) जा0दी0 के तहत नोटिस अवधि समाप्त होने से पूर्व ही दावा संस्थित किये जाने की अनुमति प्राप्त कर दावा घोषणात्मक अदालत श्रीमान में पेश किया है जो मुताबिक अनुतोष डिक्री कर दिया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया।

प्रतिवादी सं0 1–2 ने हाजिर अदालत होकर जवाव दावा पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वावत दर्ज हिस्सों को वादीगण स्वंय सावित करें। वादीगण के पिता रामस्वरूप ने उक्त आराजी को दिनांक 21.06.1977 को खरीद किया हो तथा विवादित आराजी पर कन्हैया प्रभाती के हिस्से पर वादीगण का कब्जा हो इस तथ्य को वादीगण स्वंय सावित करे। वाद ग्रस्त आराजी के राजस्व रेकार्ड में आज भी कन्हैया, प्रभाती की खातेदारी दर्ज है। वादीगण का दावा सावित नही है खारिज किया जावे।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 नोटिस धारा 80 जा0दी0 प्रदर्श–2 प्रदर्श–3 पोस्टल रसीद, प्रदर्श–4 ईकरारनामा दिनांक 21.06.1977, प्रदर्श–5 जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 प्रदर्श–6 किता 12 प्रदर्श 7 बसीयतनामा दिनांक 18.07.1977 पेश किये। जो शामिल पत्रावली है।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में गवाह स्वंय वादी **PW1** बच्चू व गवाह **PW2** प्रकाश **PW 3** दौलतराम वयान पंजीवद्व कराये है जो संलग्न पत्रावली है।

वादीगण के दावा व प्रतिवादीगण पैरोकार के जवाब दावा के आधार पर वाद में कुल 4 तनकिया कायम की गयीं जिनका विन्दुवार निस्तारण निम्न प्रकार से किया जा रहा है –

तनकी संख्या 1. इस प्रकार से है कि आया वादीगण आराजी खसरा नम्बर 192, 193, 228, 78, 94, 95, 96, 97, 98, 96/404, 99 का 3/16 हिस्सा खसरा नम्बर 58, 59, 71, 72, 73, 76, 85, 86, 91, 92, 93 का 759/2048 हिस्सा खसरा नम्बर 67, 68, 69 का 3/16 हिस्सा वाके ग्राम ईसरोती तहसील कठूमर के खातेदार काश्तकार है ––वादीगण

तनकी संख्या 2. आया वादीगण दावा के पैरा सं0 2 वावत प्रतिवादीगण को डिक्री हुक्मइन्तनाई दवामी से पाबन्द कराने के अधिकारी है –– वादीगण

तनकी संख्या 3. आया वाद वादीगण मियाद वाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है –– प्रतिवादीगण

तनकी संख्या 4. इस प्रकार से है कि आया विवादित आराजी कन्हैंया, परभाती की खातेदारी में दर्ज है वाद वादीगण खारिज किया जावे। – प्रतिवादीगण

तनकी सं0 1 को सावित करने का भार वादीगण पर है! वहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपनी वहस में कथन किया कि उपरोक्त आराजी हाल राजस्व रेकार्ड में मृतक कन्हैंया व परभाती के नाम दर्ज है। वादीगण का कथन किया है कि उक्त आराजी कन्हैंया व परभाती की खातेदारी की आराजी थी जिन्होंने अपनी गर्ज पूरी करने के लिये उक्त आराजी को दिनांक 21.06.1977 को वादीगण के पिता रामस्वरूप पुत्र प्यारे से वेचान की प्रतिफल की राशि प्राप्त कर वेचान कर दिया व

कब्जा करा दिया। वाद खरीद से ही वादीगण के पिता उक्त आराजी पर काविज हो गये व काश्त करने लग गये। वादीगण के पिता के फौत होने पर वादीगण स्वंय उक्त आराजी पर काविज रहकर काश्त कर रहे है। वादीगण ने यह कथन भी किया कि कन्हैया व परभाती वादीगण के कुटुम्ब के व्यक्ति थे जिनके कोई संतान नहीं थी जिस कारण विवादित आराजी वावत कन्हैया परभाती के स्वर्गवास के वाद उक्त आराजी पर कब्जे वावत किसी तरह का विवाद न हो इस वजह से कन्हैंया व परभाती ने वादीगण क पिता रामस्वरूप के हक में दिनांक 18.05.1977 को एक बसीयतनामा तहरीर कर दिया व लिख दिया कि हमारे कोई संतान नहीं है। इस वजह से हमने प्रसन्नता से हमारी खातेदारी की आराजी की वसीयत करते है हमारे मरने के वाद उक्त आराजी के मालिक रामस्वरूप ही रहेगा अन्य का किसी तरह का हक हिस्सा व अधिकार नहीं रहेगा। इस वावत अखवार में साया कराया है किसी व्यक्ति ने कोई आपत्ति नहीं की है। विवादित आराजी पर वादीगण सन् 1977 से लगातार काविज रहकर काश्त कर रहे है। कन्हैंया व परभाती का निसंतान विला औरत स्वर्गवास हो चुका है। पत्रावली के प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड व गवाहान के वयानों से विवादित आराजी पर वादीगण का सन् 1977 से लगातार कब्जा सावित है। अतः वादीगण का उक्त आरजी पर लगातार प्रतिकूल कब्जा होने से खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। दावा वादी सावित है डिक्री कर दिया जावे।

पैरोकार सरकार ने विद्वान अधिवक्ता वादीगण के कथनों का विरोध करते हुये कथन किया कि हाल राजस्व रेकार्ड में विवादित आराजी परभाती व कन्हैंया की खातेदारी में सही दर्ज है। वादीगण का उक्त आराजी पर कब्जा नहीं है दावा वादीगण मियाद वाहर होने से खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड वसीयतनामा, ईकरारनामा जमाबन्दी हाल व गवाहान के वयानों का अवलोकन किया। ईकरारनामा दिनांक 21.06.1977 से यह सावित है कि विवादित आराजी में कन्हैया व परभाती ने अपने हिस्सा वादीगण के पिता रामस्वरूप से वेचान वावत नकद राशि प्राप्त कर वेचान कर दिया व कब्जा करा दिया इसके अलावा कन्हैया व परभाती ने अपनी खातेदारी की आराजी वावत एक बसीयतनामा दिनांक 18.05.1977 को लिखाया है। यह सही है कि खातेदार कन्हैया व परभाती व वादीगण के पिता रामस्वरूप का स्वर्गवास हो चुका है। हमने कन्हैया व परभाती द्वारा तहरीर कराई बसीयतनामा की आपत्ति वावत इस कार्यालय के कमांक राजस्व शाखा/2022/493–99 दिनांक 21.04.2022 के तहत इश्तिहार आपत्ति नोटिस तहसीलदार कठूमर को जारी किया तथा इस वावत संदापक दैनिक भाष्कर के अलवर संस्करण में दिनांक 27.04.2022 में साया कराकर आपत्ति चाही लेकिन किसी व्यक्ति ने अदालत हाजा में उपस्थित होकर कोई आपत्ति पेश नहीं की है। गवाह वादी बच्चू, प्रकाश, दौलतराम ने भी अपने वयानों में जव से सुरत संभाली है तभी से उक्त आराजी पर पहले वादीगण के पिता रामस्वरूप व रामस्वरूप के फौत हो जाने पर वादीगण का कब्जा काश्त करते होना कथन किया है। ईकरारनामा दिनांक 21.06.1977 में मृतक कन्हैया व परभाती ने उक्त आराजी का वादीगण के पिता रामस्वरूप से वेचान वावत राशि लेकर वेचान करना तथा कब्जा वादीगण के पिता रामस्वरूप को उक्त आराजी पर कब्जा देना स्वीकार किया है। अखवार में साया कराने पर किसी व्यक्ति ने कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। गवाह वादीगण विवादित आराजी पर वादीगण का लगातार कब्जा होना कथन करते है। अतः विवादित आराजी पर वादीगण का सन् 1977 से लगातार कब्जा सावित है। अतः वादीगण विवादित आराजी की एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी घोषित कराने के अधिकारी पाये जाते है। अतः यह तामकी वहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 2. को सावित करने का भार वादीगण पर है चूँकि तनकी संख्या 1 के विस्तृत विवेचन से विवादित आराजी पर वादीगण का सन् 1977 से लगातार कब्जा सावित पाया गया है तथा वादीगण मृतक कन्हैया व परभाती के नाम दर्ज आराजी की खातेदारी की घोषणा कराये जाने के अधिकारी पाये गये है। अतः वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी पाये गये है। अतः यह तनकी वहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 3. को सावित करने का भार प्रतिवादी पैरोकार पर है। जिसमें दावा वादी मियाद वाहर होना प्रतिवादी पैरोकार को सावित करना है। लेकिन वाद वादीगण मियाद वाहर हो इस विन्दु को भी पैरोकार सरकार सावित नहीं कर पाये अतः यह तनकी भी विरूद्व प्रतिवादीगण वहक वादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 4. को सावित करने का भार प्रतिवादी पैरोकार पर है। प्रस्तुत हाल जमाबन्दी में वाद वर्णित आराजी कन्हैया, परभाती के नाम हिस्सानुसार खातेदारी में दर्ज है। कन्हैया व परभाती का कोई वारिस या अन्य उत्तराधिकारी हो तथा कन्हैया व परभाती ने उक्त आराजी का विकय नहीं किया हो व विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा ना हो इस तरह का पैरोकार सरकार ने कोई प्रमाणित दस्तावेज पेश नहीं किया है। अतः वादीगण हाल जमाबन्दी से मृतक कन्हैया व परभाती के नाम को कलमजन कराकर अपने नाम खातेदारी घोषित कराने के अधिकारी है। अतः यह तनकी विरूद्व प्रतिवादीगण वहक वादीगण निर्णीत की जाती है।

उपरोक्त तनकियात के विस्तृत विवेचन से विवादित आराजी पर वादीगण का दिनांक 21.06.1977 से लगातार कब्जा पाया गया है। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत

राजस्व रेकार्ड बसीयतनामा, ईकरारनामा व गवाहान वादीगण के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता वादीगण व पैरोकार सरकार की बहस पर मनन करने पर वाद वादीगण साबित होने से डिक्री योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः दावा वादीगण इस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवामी साबित होने से डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 192, 193, 228, 78, 94, 95, 96, 97, 98, 96/404, 99 का 3/16 हिस्सा खसरा नम्बर 58, 59, 71, 72, 73, 76, 85, 86, 91, 92, 93 का 759/2048 हिस्सा खसरा नम्बर 67, 68, 69 का 3/16 हिस्सा वाके ग्राम ईसरोती तहसील कठूमर का वादीगण को वहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रेकार्ड से मृतक कन्हैया व परभाती का नाम कलमजन करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो राजस्व रेकार्ड में उक्तानुसार संशोधित इन्द्राज दर्ज करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 03.06.2022 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पर्चा डिक्री

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामकिशोर मीना आर ए एस

राजस्व वाद पत्र संख्या 1/31/2022

वउनवान

1. बच्चूसिंह पुत्र स्व0 रामस्वरूप जाति जाट निवासी ईसरोती
2. रामचरण पुत्र स्व0 रामस्वरूप जाति जाट निवासी ईसरोती
3. गोकल पुत्र स्व0 रामस्वरूप जाति जाट निवासी ईसरोती

तहसील कठूमर जिला अलवर

——— डिक्रीदारान

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर अलवर
2. तहसीलदार कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर
3. प्रबन्धक, पी एन बी शाखा कठूमर जिला अलवर

———मदयूनान

दावा घोषणात्मक व हुक्मइन्तनाई दवामी

अतः वाद वादीगण वावत आराजी घोषणात्मक व हुक्मइन्तनाई दवामी वावत आराजी खसरा नम्बर 192, 193, 228, 78, 94, 95, 96, 97, 98, 96/404, 99 का 3/16 हिस्सा खसरा नम्बर 58, 59, 71, 72, 73, 76, 85, 86, 91, 92, 93 का 759/2048 हिस्सा खसरा नम्बर 67, 68, 69 का 3/16 हिस्सा वाके ग्राम ईसरोती तहसील कठूमर का वादीगण को वहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रेकार्ड से मृतक कन्हैंया व परभाती का नाम कलमजन करने के आदेश तहसीलदार कठूमर को दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो राजस्व रेकार्ड में उक्तानुसार संशोधित इन्द्राज दर्ज करे।

आज दिनांक 03.06.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

रामकिशोर मीना

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)